तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
26/11/2025	उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम डुगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित कृषि ख0नं0 123/734 रकबा 0.84है0 में प्रार्थी 1/2 हिस्सा का खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं होगी लेकि अप्रार्थी अगर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा मे मुल्याकंन किया जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी कम 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान ग्राम डूगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित कृषि ख0नं0 123/734 रकबा 0.84है0 में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करने और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से कराए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	